

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo\_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं०: 05963-220249

वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 1422 / 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 14/12/2016

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,  
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - आनलाईन प्रस्ताव बागेश्वर में व्हीलकुलवान स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर-मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 12810/2015)।

सन्दर्भ- ऑन EDS दिनांक 18/06/2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि बागेश्वर से व्हीलकुलवान स्योकुणा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण इस कार्यालय से कर सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं० 1	Short narrative of the project does not give adequate information about the project in part I.	Short narrative enclosed in the part I.
बिन्दु सं० 2	Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I.	50 Years.
बिन्दु सं० 3	The GPS coordinates marked digitally on GIS software generated georeferenced Map for the area proposed for diversion in 200-300 mtr distance and earth turn of the proposed road and be uploaded in designated place in Part I.	GIS software generated Geo-referenced digital Map has been uploaded in Part I. alongwith coordinates within the distance of 200-300 mtr .
बिन्दु सं० 4	GPS coordinates marked digitally on geo referenced Map for every corner of the land proposed ofr CA is not provided. it should be uploaded in the designated place in Part I.	GPS coordinate has been marked every corner of the land proposed in Geo referenced Map and uploaded for your kind information.

बिन्दु सं० 5	NPV calculated for dense forest but density 0.3 does not appear correct for the dense forest need clarification and necessary correction.	NPV rate for density 0.3 has been enclosed according to which NPV has been calculated.
बिन्दु सं० 6	As the proposed road linked with previously sanctioned road. therefore the details of proposal sanctioned in past may be provided in appropriate column of Part I.	Details of previously sanctioned road have been enclosed herewith.
बिन्दु सं० 7	Component wise break up does not include area designated for Muck dumping may be provided in aforesaid column in Part I.	Component wise break up has been done.
बिन्दु सं० 8	Wildlife details are not provided in Part II.	Wildlife details have been mentioned in online Part II at designated column.
बिन्दु सं० 9	Part I, II, III, IV, and V which is provided in online web portal for the proposal is not enclosed with the hard copy.	Part I and Part II has been enclosed by U.A and DFO in the hard copy, thus It will be further given by C.F, Nodal office, State Govt.

अतः प्रस्ताव पर अग्रतः कार्यावाही करने की कृपा करे ।  
संलग्न- यथोपरि

भवदीय



(एम०बी०सिंह)


प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर



डिजिटल मैप - जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हवीलकुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा-ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ( लम्बाई 3.00 किमी०)

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale - 1:50,000



**Legend**

- Muck Disposal
- Proposed\_Road

सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०  
बागेश्वर


सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०  
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

डिजिटल मैप - जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हवीलकुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा-ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ( ग्राम- दुलम तहसील-कपकोट क्षेत्रफल- 4.06 )

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale - 1:50,000



**Legend**

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area

*(Signature)*  
 सहायक अतिरिक्त  
 प्रा० खण्ड लॉ० नि० वि०  
 बागेश्वर


*(Signature)*  
 अतिरिक्त अतिरिक्त  
 प्रा० खण्ड लॉ० नि० वि०

*(Signature)*  
 प्रमाणीय बनाधिकारी  
 बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

डिजिटल मैप - जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हवीलकुलवान मोटर मार्ग से स्योकुणा-ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ( लम्बाई 3.00 किमी0)

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale - 1:50,000




**Legend**

- Muck Disposal
- Proposed\_Road
- Alternate Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

अभिषेक अभियन्ता  
 प्रा. खण्ड लो. नि. वि.  
 बागेश्वर

अभिषेक अभियन्ता  
 प्रा. खण्ड लो. नि. वि.  
 बागेश्वर

जियोरफरेन्स मैप - जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हवीलकुलवान मोटर मार्ग से रथोकुणा-गालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल ( ग्राम- दुलम तहसील-कपकोट क्षेत्रफल- 4.06 )



**Legend**

- GPS Point
- CA Land Dulam Civil 4.06 Ha.

**श्रीमान्म वननिष्कासी**  
**बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर**

[Signature]  
 वन निष्कासी  
 बागेश्वर


[Signature]  
 वन निष्कासी  
 बागेश्वर

S.no.	Longitude	Latitude
1	79° 55' 17.334" E	30° 0' 11.587" N
2	79° 55' 17.224" E	30° 0' 10.196" N
3	79° 55' 16.981" E	30° 0' 8.842" N
4	79° 55' 19.008" E	30° 0' 8.930" N
5	79° 55' 21.995" E	30° 0' 9.451" N
6	79° 55' 25.228" E	30° 0' 10.161" N
7	79° 55' 28.394" E	30° 0' 10.553" N
8	79° 55' 28.467" E	30° 0' 12.974" N
9	79° 55' 28.083" E	30° 0' 14.695" N
10	79° 55' 28.386" E	30° 0' 15.745" N
11	79° 55' 28.638" E	30° 0' 16.956" N
12	79° 55' 27.892" E	30° 0' 16.667" N
13	79° 55' 25.411" E	30° 0' 15.470" N
14	79° 55' 21.621" E	30° 0' 13.257" N
15	79° 55' 17.631" E	30° 0' 12.461" N

79°55'9"E 79°55'12"E 79°55'15"E 79°55'18"E 79°55'21"E 79°55'24"E 79°55'27"E 79°55'30"E 79°55'33"E 79°55'36"E 79°55'39"E 79°55'42"E

30°0'18"N 30°0'15"N 30°0'12"N 30°0'9"N 30°0'6"N 30°0'3"N

जिओरेफरेन्स मैप - जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हवीलकुलवान मोटर मार्ग से  
 स्योकुणा-गवालदम नाग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ( लम्बाई 3.00 किमी०)



S.no.	Longitude	Latitude
1	79° 32' 58.822" E	29° 59' 11.597" N
2	79° 33' 1.697" E	29° 59' 7.871" N
3	79° 33' 4.976" E	29° 59' 5.905" N
4	79° 33' 9.122" E	29° 59' 7.966" N
5	79° 33' 12.534" E	29° 59' 8.936" N
6	79° 33' 5.837" E	29° 59' 8.242" N
7	79° 33' 2.079" E	29° 59' 10.950" N
8	79° 33' 6.677" E	29° 59' 10.446" N
9	79° 33' 11.296" E	29° 59' 11.901" N
10	79° 33' 8.232" E	29° 59' 13.476" N
11	79° 33' 4.036" E	29° 59' 13.081" N
12	79° 33' 5.663" E	29° 59' 18.583" N
13	79° 33' 2.733" E	29° 59' 17.072" N
14	79° 33' 0.909" E	29° 59' 19.888" N
15	79° 32' 58.287" E	29° 59' 23.770" N
16	79° 32' 55.610" E	29° 59' 28.306" N
17	79° 32' 58.981" E	29° 59' 28.457" N
Muck Disposal Point		
A	79° 33' 10.670" E	29° 59' 9.360" N
B	79° 33' 5.550" E	29° 59' 15.050" N
C	79° 33' 0.250" E	29° 59' 21.030" N

- Legend**
- Muck Disposal Point
  - GPS Coordinates
  - Proposed Road

संख्या:-जी०आई०:-1882/7-1-2009-600(2028)/2007

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून: दिनांक 27 जनवरी, 2009.

विषय:- जनपद-बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फंज-7) के अन्तर्गत अल्मोड़ा-ग्वालदम मोटर मार्ग के कि.मी. 82 से हवीलकुलवान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.4187 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1789/1जी-2110 (बागे०) दिनांक 20-01-2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फंज-7) के अन्तर्गत अल्मोड़ा-ग्वालदम मोटर मार्ग के कि.मी. 82 से हवीलकुलवान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.4187 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण का स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8वी/यूसी.पी./06/273/2007/एफ.सी./1166 दिनांक 18-01-2009 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्याप पर वन विभाग द्वारा 8.90 हे० अर्थात् सिविल एवं सोयम वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव किया जायेगा। व्याप में क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल एवं सोयम वन भूमि पर प्रस्तावित नहीं किया गया है, अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि चयनित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना शासनादेश निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
3. राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-V-06/XVIII(J)/2009 दिनांक 09-01-2009 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वैधानिक प्रबन्धन की दृष्टि से वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति की शर्त संख्या-2 में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि उक्त सिविल भूमि वन प्रशासनिक नियंत्रण छः माह के अन्तर्गत वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा व यदि उक्त अवधि में इस भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण नहीं किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। भारत सरकार की उक्त शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि को राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया जायेगा व इसकी सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी।



4. ग्राम्य विकास विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
  5. ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचावेगा और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं ग्राम्य विकास विभाग पर बाध्यकारी होगा, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा देय होगा।
  6. उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि ग्राम्य विकास विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि ग्राम्य विकास विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो ग्राम्य विकास विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
  7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सहमति अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
  8. वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
  9. ग्राम्य विकास विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगने अवनत वनभूमि अर्थात् 8.90 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रख-रखाव किया जायेगा।
  10. वन विभाग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के व्यय पर प्रस्तावित मार्ग के आस-पास पडे रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रख-रखाव किया जायेगा।
  11. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  12. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपसन्त रख-रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
  13. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
  14. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
  15. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की भूमि से सड़क निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
  16. प्रयोक्ता एजेन्सी से एकत्रित एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की क्षमताशुक्ति तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को हस्तान्तरित किया जायेगा।
  17. प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।
  18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलबे एवं निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) घयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।
2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-104/26/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वि० दि०-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं०-110/26/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वि० दि०-4-1-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 614/वि.अनु. 3/2002 दिनांक 13-11-2002 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(राजेन्द्र कुमार)  
अगर सचिव।

संख्या-जी0आई0-1887 /7-1-2009-600(2028)/2007 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन अधिकारी (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. नोडल अधिकारी, (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, देहरादून।
7. अधिसासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

आज्ञा से



(राजेन्द्र कुमार)  
अपर सचिव।

National  
respect  
and S:  
appli  
area

Revision of rates of NPV applicable for different class/category of forests

Proposed and Currently Prevalent NPV Rates (in Rs. Lakhs/ha); figures in parenthesis indicate %change w.r.t. current rates	VDF		MDF		OF		LTF	
	Proposed	Current	Proposed	Current	Proposed	Current	Proposed	Current
	Area with most likelihood of proposed forest diversion							
Tropical Dry Deciduous Forests	25.08	8.87	18.62	8.03	11.17	6.26	7.73	6.26
Tropical Thorn Forests	14.37	6.26	13.41	5.63	10.57	4.38	7.78	4.38
Tropical & Subtropical Dry Evergreen Forests	28.38	7.83	21.43	7.04	13.24	5.47	7.47	5.47
Subtropical Pine/Broadleaved Hill Forests	22.74	9.39	17.97	8.45	11.63	6.57	6.64	6.57
Montane & Moist Temperate Forest	30.14	9.91	23.78	8.97	13.54	6.99	6.93	6.99
Sub Alpine & Dry Temperate Forest	25.29	9.91	20.07	8.97	11.29	6.99	5.65	6.99
Alpine Scrub	27.23	9.91	19.14	8.97	10.7	6.99	6.83	6.99
Colour Keys for percentage change	Decrease		Increase					

In terms of the total economic value of forest goods and services estimated in this study accruing at various spatial scales, it can be reasonably appropriated that, about 50% of this is accrued at the local level with 34% and 16% accruing at the state and national level, respectively. The economic value accruing at the local level can also be seen as the dependence value of forest ecosystems for the local communities dependent on forests for livelihoods and subsistence.

To make NPV more site-specific, it is suggested that a premium on applicable NPV rates may be applied specifically for hill talukas and forested wetlands. It is also suggested that for core areas of

\* As the current forest type group classification falls in two Eco-classes, average NPV rates have been mentioned here.